न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 110 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. अचला पुत्र केना के कायम मु. 1/1चेतनराम पुत्र अचला 1/2जुगताराम पुत्र अचला 2. जैसा पुत्र केना 3. रतना पुत्र गिरधारी के का.मु. 3/1दूदाराम पुत्र रतना 3/2नेनाराम पुत्र रतना 3/3लालाराम पुत्र रतना 3/4अर्जुनराम पुत्र रतना 3/5गेहरों पत्नी रतना 4. भला पुत्र गिरधारी 5. पन्ना पुत्र कालू 6. पेमा पुत्र कालू 7. लक्ष्मण पुत्र कालू 8. लाली पत्नी कालू 9. रणछा पुत्र कालू उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वली लाली पत्नी कालू जातियान जाट निवासी पन्नोणियों का तला, होडू, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. मोतीराम पुत्र प्रभूराम 2. भलाराम पुत्र प्रभूराम 3. नेनाराम पुत्र प्रभूराम जातियान जाट निवासी पन्नोणियों का तला, होडू, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू, तहसील सिणधरी 5. भूमिपति तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2021 बउनवान मोतीराम वगैरह बनाम अचला वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री रतनाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 45, 46, 46/2, 64 रकबा क्रमशः 0.0324 हैक्टयर, 6.6500 हैक्टयर, 0.8171 हैक्टयर, 7.2648 हैक्टयर कुल रकबा 14.7643 हैक्टयर मौजा पन्नोणियों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आये हुए हैं जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के सहखातेदारी का है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में अलग—अलग हिस्से खुल्ले हुऐ नहीं है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिन्होने मौका पर आकर विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के नाम से जारी सम्मनों पर अपीलांटस की सम्यक तामिल नहीं करवाई गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद के दौराने प्रतिवादी संख्या 01 अचला पुत्र केहना की मृत्यु दिनांक 05.11.2022 को हो गई, प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसानों के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेना अति आवश्यक था। लेकिन उतरदाता संख्या 01 से 03 ने उक्त तथ्य को छिपाकर रखा और अचला के विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लिये बिना ही एकतरफा फैसला करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—**RRT 2020(2) Page 791, RRT 2004(1) Page 1, RRT 2010(1) Page 1, RRT 2009(1) Page 345, RRT 2010(2) Page 1363, RRT 2011-12(Supp.) Page 698, RRT 2021(2) Page 1318**

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से सम्मन भिजवाये गये बावजूद सूचना/तामिल के अपीलांटस जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार सिणधरी स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत थे तथा वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अरसा 20–25 दिन पूर्व उतरदातागण हल्का पटवारी के साथ मौके पर आये तथा मौके पर अपीलांटगण के हिस्से में हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगे तथा अपीलांटगण की रहवासी ढाणियां, मकान, चारबाड़े, पानी के टांके वाली जमीन उतरदातागण अपनी होना बताकर बेदखल करने की कोशिश की तथा हल्का पटवारी ने बताया कि इस भूमि का बंटवारा हो गया है जिस कारण अपीलांटगण को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 18.06.2024 को प्राप्त होने पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपील पेश करने में अपीलांटस द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने की दिनांक से ही हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्रों में नहीं किया गया है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जाकर अपीले इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युंक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.05.2022 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आराजी का बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांटस को नोटिस/सूचना दी गई हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांटस को अपने हिस्से की भूमि सड़क मार्ग पर नहीं दी गई। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 115/2021 बउनवान मोतीराम वगैरह बनाम अचला वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2023 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलांटस को उनके हिस्से की भूमि सड़क मार्ग पर देते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

18/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर